बदलाव

प्रदूषण काबू करने में कारगर होगी कबाड़ नीति

नई स्क्रैप (कबाड़) नीति के लागू होने के साथ सड़क पर वहीं गाड़ियां रफ्तार भरेंगी,जो फिट होंगी। वहीं, स्क्रैप सार्टिफिकेट वालों को ही नई गाड़ी की खरीद पर छूट मिलेगी। साथ ही साथ इस नीति के लागू होने से शहर की हवा भी सुधरेगी। सड़कों पर होने वाली दुर्घटना भी कम होगी। आइए जानते हैं कि क्यों इसकी जरूरत पड़ी और क्या होंगे फायदे।

15 साल बाद कबाड़ घोषित हो सकेगी कमर्शियल गाड़ी

20 साल बाद निजी गाड़ी को कबाड़ घोषित किया जा सकेगा

02 करोड़ से ज्यादा वाहनों का पंजीकरण 2005 से पहले का है

40 हजार रुपये सालाना का नुकसान होता है पुरानी कार चलाने से

क्यों पड़ी जरूरत

1988 बैच के आंध्र प्रदेश काडर के वरिष्ठ आईएएस अफसर और सड़क परिवहन मंत्रालय के सचिव गिरिधर अरमाने ने इस नीति के कई फायदे गिनाए। उन्होंने कहा, एक आंकड़े के मुताबिक, पुरानी कार चलाने पर एक व्यक्ति को हर साल 30 से 40 हजार तो एक ट्रक मालिक को सालाना, दो से तीन लाख रुपये का नुकसान होता है। स्क्रैपिंग पॉलिसी से यह आर्थिक नुकसान कम होगा।

खतरनाक हैं पुरानी गाड़ियां

1 15 से 20 साल पुराने वाहनों में सीट बेल्ट और एयरबैग आदि नहीं होते। जिससे ऐसे वाहनों में सफर जानलेवा होता है

2 नए वाहनों में कहीं ज्यादा सुरक्षा मानकों का पालन होता है। नए वाहनों से होने वाले एक्सीडेंट में हेड इंजरीज की दर भी कम होगी

दावा: रोजगार पैदा होंगे

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को गांधीनगर में कहा, कबाड़ नीति से सभी अंशधारकों को फायदा होगा और इससे विनिर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस नीति से रोजगार के अवसरों का सृजन होगा तथा केंद्र और राज्यों दोनों को 40,000 करोड़ रुपये का जीएसटी मिलेगा।

गाड़ी 20 साल पुरानी है तो क्या करना होगा

- गाड़ी मालिक को ऐसे वाहनों को रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फेसिलिटी को सौंपना होगा
- साथ में वाहन का रजिस्ट्रेशन,पैन कार्ड और अन्य दस्तावेज देना होगा
- इसके बाद स्क्रैप करने वाली एजेंसी चोरी के वाहनों के रिकॉर्ड से गाड़ी का मिलान करेगी
- इसके बाद सार्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जारी होगा। इसे दिखाकर आप नए वाहन पर छूट पा सकेंगे

नए वाहन खरीदने पर छूट मिलेगी

- स्क्रैप सर्टिफिकेट को शो-रूम पर दिखाने पर नए वाहन पर 5% तक की छूट मिलेगी
- नए वाहन की रजिस्ट्रेशन फीस को माफ हो जाएगी
- राज्य सरकार ऐसी गाड़ियों पर रोड टैक्स में भी छूट देगी